एसबी आदेश सं. 12/2026

फा. सं. 113-03/2026
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(वित्तीय सेवाएं डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली – 110001
दिनांक : 30.09.2026

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : दिनांक 01.10.2026 से लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक कार्य विभाग (बजट डिवीजन), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2026 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2019-एनएस (प्रति संलग्न) के तहत सूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही **(1 अक्तूबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक)** के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाओं) पर ब्याज दरें, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (अर्थात् 1 जुलाई, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक) के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी।

2 . अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों के सूचनार्थ और आवश्यक मार्गदर्शन हेतु परिचालित करें। साथ ही, इसे सभी डाकघरों के सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए गए नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

प्रसेनजीत

(प्रसेनजीत चटर्जी)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रति : अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

प्रसेनजीत

(प्रसेनजीत चटर्जी)
सहायक निदेशक (एसबी-I)